न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 813/2018

प्रार्थी :– 1. गफूर खां पुत्र सूजे खां, जाति मुसलमान निवासी सिमरखिया तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. निमाजी पत्नी हासम खां नि0 सिमरखिया
2. हमीद खां उर्फ हनीफ खां पुत्र जामीन खां नि0साथुनी चारणान
3. आसीन खां पुत्र जामीन खां निवासी साथुनी चारणान
4. करीम खां पुत्र मुरीदखां निवाई साई, तह0 शेरगढ़ जिला जोधपुर।
5. आसीया बानो पत्नी लादु खां नि0 सिमरखिया
6. नसीर खां पुत्र मुरीद खां सभी जातियान मुसलमान निवाई साई, तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर (राज)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री माधुसिंह प्रार्थीगण वकील
2. श्री करणसिंह जी प्रार्थीगण वकील
3. श्री ओमसिंह विप्रार्थीगण वकील

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

'आदेश'

दिनांक :– 21.01.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा सिमरखिया तहसील पचपदरा के खसरा सं. 950/28 व क्षैत्रफल 6 बीघा मे आई हुई है । प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थी का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 0 6 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 प्रार्थी द्वारा अपने खेत में सूड करने हेतु टोकाटाकी व अडचन डालने का प्रयास पर आमदा है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा ... विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर ... पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थी ने पैमाईश एवं नेखबंदी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दिनांक 16.10.2018 दर्ज ... विप्रार्थीगण सम्मन जारी ... गया । विप्रार्थीगण संख्या 01 के वकील उपस्थित । जबाब हेतु अवसर चाहा गया । विप्रार्थीगण संख्या 01 के जबाब पेश हेतु अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित ।

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दीगर विप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस रसीदे पेश होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी ।

दोनो पक्षों के वकील की बहस को सुना गया। प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेखमबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक थोब को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा सिमरखिया तहसील पचपदरा के खसरा सं. 950/28 व क्षैत्रफल 6 बीघा मे नेखमबंदी करने से पूर्व एक तारीख निश्चित कर दोनो पक्षकारान को सूचित करवा कर वे दोनो पक्षों की उपस्थिति में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है । भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों मौका कमिश्नर शुल्क एक हजार रूपये नियत किये जाते है। जिसे प्रार्थी कमिश्नर शुल्क अदा करें । पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(सुरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

आज दिनांक 21.01.2021 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:41:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner